न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 07/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. श्याम शर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द शर्मा, विक्रेता राजू मिष्ठान भण्डार नदबई जिला भरतपुर ब्राहमण उम्र 19 वर्ष निवासी गांधी पार्क के सामने बंगाली वाली गली वी0आई0पी0 कालौनी नदबई जिला भरतपुर।
2. राजपाल शर्मा पुत्र श्री नत्थीलाल शर्मा मालिक राजू मिष्ठान भण्डार नदबई उम्र 38 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी गांधी पार्क के सामने बंगाली वाली गली वी0आई0पी0 कालौनी नदबई जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– गैरसायलान स्वयं मय वकील सर्वेश सिंह

निर्णय

दिनांक : 27.12.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 27.06.2019 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान मय वकील दिनांक 30.10.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायलान को दी गई। नियत दिनांक 27.12.2019 को गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप

सुनाया गया कि दिनांक 16.03.2019 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायलान की दुकान राजू मिष्ठान भण्डार नदबई का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण राजू मिष्टान भण्डार पर 18 किग्रा0 मावा का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 1 किग्रा0 मावा 220/—रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस—204/एक्ट/2019/217 दिनांक 03.04.2019 द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायलान के द्वारा अवमानक स्तर का मावा आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायलान व वकील गैरसायलान ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से मावा का निर्माण करके विक्रय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप गैरसायल स्वीकार करता है। जिसका गैरसायलान द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायलान की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करते है। गैरसायलान ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायलान अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायलान की प्रथम गलती है। अतः गैरसायलान के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान व वकील गैरसायलान के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 16.03.2019 को गैरसायलान की दुकान से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित मावा का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.04.2019 में अवमानक स्तर

(Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायलान के द्वारा मावा का निर्माण कर विक्रय काफी समय से करना बताया। गैरसायलान के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 18 किग्रा0 मावा ही वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायलान छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र 18 किग्रा0 मावा ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाया गया है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 1 किग्रा0 मिश्रित दूध 220/– रूपये में क्रय किया गया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 18 किग्रा0 मावा की कीमत मात्र 3960/– रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायलान छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायलान के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल संख्या 1 श्याम शर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द पर 3000/– रूपये (तीन हजार रूपये) एवं गैरसायल संख्या 2 राजपाल शर्मा पुत्र श्री नत्थीलाल शर्मा पर 4000/– रूपये (चार हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर